ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका: बिहार के कैमूर जनपद का एक अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में
पी–एच०डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध सारांश

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

शोध निर्देशक
प्रो० सार्तिक बाग
राजनीति विज्ञान विभाग

शोधार्थी
प्रेम शंकर गोंड
नामांकन संख्या: 130/14

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025

2019

शोध सारांश

भारत ग्राम–प्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास सम्भव नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भी हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नेताओं की यही मान्यता थी। वास्तव में स्वतन्त्रता संग्राम का एक आधार यह भी था कि ब्रिटिश राज के दौरान ग्रामीण भारत की अनदेखी की जा रही थी। महात्मा गाँधी ने तो 'ग्राम–स्वराज' को ही स्वतन्त्र भारत के आर्थिक विकास के केन्द्र–बिन्दु के रूप में देखा।

विकासशील देशों के लिए विकास की समस्या का सामना करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब देश सम्राज्यवादी सत्ता से मुक्त हो जाते हैं और स्वंय के स्वामी बन जाते हैं तब जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि विदेशी सत्ता के शासनकाल में रूकी हुई विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जाये। इसलिये भारत जैसे विकासशील देशों के संबंध में विदेशी विशेषज्ञ और देश के विद्वानों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि परम्परागत प्रशासन के स्थान पर विकास प्रशासन स्थापित किया जाय।

वस्तुतः विकास परिर्वतन की वह स्थिति है जिसके द्वारा परम्परागतपूर्ण स्थिति से हम आधुनिक स्थिति पर आतें है। यह एक निरन्तर परिर्वतनशील गतिशील प्रक्रिया है। तथा बहुआयामी अवधारणा है जिसकी निश्चित एंव सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है।

विकास की चर्चा केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं करनी चाहिए। इसके राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक और प्रशासानिक घटक भी होते है। यद्यपि विकास के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटकों के बीच विभाजन रेखा खीचना संभव नहीं है फिर भी ये सब मिलकर विकास प्रक्रिया में योगदान देते हैं।

राजनीतिक विकास में राजनीतिक व्यवस्था स्वंय की मौलिक समस्याओं से निपटने की क्षमता रखती हो तथा जनता की मांगो के अनुरूप बनने में सक्षम हो

साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा विकास के समानान्तर होती रहें। जनसहभागिता एंव लोक–कल्याण राजनीतिक विकास के मूल अंग है।

आर्थिक विकास का प्रमुख उद्वेश्य देश का आर्थिक दृष्टि से विकास करना है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति पूँजी, बचत, रहन–सहन का स्तर एंव राष्ट्रीय आय तथा अधि–संरचनात्मक विकास सम्मिलित है।

सामाजिक विकास से तात्पर्य, समाज में रहने वाले लोगों के सामाजिक जीवन में परिर्वतन लाते हुए उन्नति करने से है। इसमे वस्त्र, भोजन, आवास, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सामाजिक समावेशी विकास एंव समाजिक रूप से वंचित लोगां को मुख्य धारा में लाना है।

सांस्कृतिक विकास का प्रशासानिक विकास से तादात्म होना स्वभाविक प्रक्रिया है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जन असंतोष एंव हिंसा का उदय होता है।

प्रशासानिक विकास, विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है यह परिर्वतनशील एंव गतिशील अवधारणा है जो समाज आर्थिक, सामाजिक, एंव राजनीतिक परिर्वतन के लिए प्रयत्नशील है। इसमें प्रशासानिक संरचनाओं, संगठनों, नीतियों, प्रक्रियाओं आदि में परिर्वतन करके प्रशासन को समयानुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है।

विश्व बैंक की विकास अवधारणा के अनुसार मानव जीवन जीने का स्तर में सुधार लाना ही विकास है। इसका मापन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा एंव औसत आय के आधार पर यू0 एन0 डी0पी0 करता है। इस प्रकार धनात्मक परिवर्तन के साथ बृद्वि ही विकास है।

ग्रामीण विकास :

ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को प्रदर्शित करता है। यह एक व्यापक एवं बहुआयामी संकल्पना है। इसमें कृषि और सहायक गतिविधियॉ, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग और

शिल्पकारी, सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधनों का विकास सम्मिलित है। एक तथ्य के रूप में ग्रामीण विकास विविध भौतिक, तकनीकी, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों के मध्य अर्न्तसम्बधों का अंतिम परिणाम है। एक रणनीति के रूप में इसकी संरचना वर्ग विशेष के लोगों की विशेषतः ग्रामीण गरीबों को आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में सुधार हेतु की गयी है। एक अनुशासन के रूप में इसकी प्रकृति बहु–अनुशासनिक है जिसमें कृषिगत, सामाजिक व्यवहारिक, अभियांत्रिक एवं प्रबन्धकीय विज्ञानों का प्रतिनिधित्व है।

विश्व बैंक के ग्रामीण विकास के क्षेत्र की नीति के अनुसार ग्रामीण विकास एक व्यूह रचना है जो कि एक विशेष समूह गरीब ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनाई जाती है। यह व्यूह रचना ग्रामीण क्षेत्रों के अति गरीब व्यक्तियों को विकास के लाभों तक पहुचाने के लिए तैयार की जाती है। इस समूह मे किसान एवं खेतिहर मजदूर होते है । इसके अलावा ग्रामीण विकास गरीब ग्रामीण के रहन सहन के स्तर में उन्नत करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

भारत में ग्रामीण विकास (Rural Devlopment in India) :

भारत जैसा विकासशील देश जहां लगभग सत्तर प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है, ग्रामीण विकास का महत्व स्वतः ही स्पष्ट है। यदि भारत को एक सशक्त देश बनाना है तो ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देनी ही होगी। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास संबन्धी कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाता है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास गरीब ग्रामीणों, छोटे एंव सीमान्त किसानों भूमिहीनों एंव बटाईदारों के आर्थिक एंव सामाजिक जीवन सुधार लाने की व्यूहरचना है। ग्रामीण शब्द से तात्पर्य है जिनका व्यावसायिक ढ़ाचा, सामाजिक संगठन एंव रहने का तरीका गैर शहरी जीवनशैली का होता है। विकास का अर्थ होता है, तकनीकी, औधोगिक एंव

वैज्ञानिक क्षेत्रों का विकास। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास ही ग्रामीण विकास है। इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र और जीवन स्तर का विकास करना ही नही है बल्की न्यूनतम आधुनिक सुविधायें भी प्राप्त करना है। इस प्रकार ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है।

भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास प्राचीन है एवं इसकी एक समद्ध परम्परा विद्यमान रही है। प्राचीन भारत के ग्राम सम्पन्न एंव आत्मनिर्भर थे। मध्यकालीन भारत में भी ग्रामीण स्वशासन की प्रचलित परम्परा मे अधिक बदलाव नही किया गया। परन्तु अंग्रेजी दासता के फलस्वरूप यह ढ़ाँचा अव्यवस्थित हो गया।

सदियों की गुलामी से स्वंतत्रता प्राप्ती के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन की बुनियाद नये सिरे से शासन के विकेन्द्रीकरण की नीति के सिद्धान्त पर रखी गयी जिसमें भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया गया। भारत ने योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर बढ़ने के लिये पंचवर्षीय योजना को अपनाया। इन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी एंव अनेकों कार्यक्रम इस संदर्भ में चलाये गये। जैसे–सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा प्रसार, खादी एंव ग्रामोद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग प्रोजेक्ट, वार्षिक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुआँ निर्माण कार्यक्रम, आदिवासी विकास ब्लाक, ग्रामीण मानव–शक्ति विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, आदिवासी विकास ब्लाक, ग्रामीण मानव शक्ति विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि।

21वीं सदी में ग्रामीण विकास के निम्न कार्यक्रम चलाये गये–

- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना
- सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना

- भारत निर्माण
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- मनरेगा
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- दीक्षा (Rural Developmeent Training Institutes)

मनरेगा (MGNREGA) :

रोजगार किसी भी देश और समाज के आर्थिक विकास की कुँजी है। जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या और उनकी आमदनी में बढोत्तरी होती है। उस गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है। गांधी जी बेराजगारी को एक सामाजिक अपराध की संज्ञा देते हुये कहते थे कि ''किसी स्वस्थ्य समाज के अंदर चंद व्यक्तियों के पास धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का स्वरोजगार बेकार होना एक महान सामाजिक अपराध है।''

ग्रामीण भारत की अधिकांश जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों की कमी के कारण कृषि पर रोजगार के लिए निर्भर है। कृषि सभी इच्छुकों को पूरे वर्ष का रोजगार दे पाने मे सक्षम नहीं है। बेरोजगारी की इस स्थिति से वहाँ के लोगों का विस्थापन महानगरों की तरफ होता है जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक एंव राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन आता है। इस समस्या से निपटने के लिये ग्रामीण रोजगार को कानूनी गारंटी का स्वरूप दिया गया। इससे यह मजदूरों का न्यायोचित अधिकार बन गया। भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में इस कानून

का निर्माण किया गया तथा इसे 02 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के बन्दापाली गांव से शुरू किया गया। पहले चरण 2006–07 वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया तथा 1 जनवरी 2008 को यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस योजना को तैयार करने में ज्यां द्रेज का प्रमुख योगदान रहा है।

इस अधिनियम द्वारा प्रशिक्षित एवं अर्धप्रशिक्षित मजदूरों के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए एक वितिय वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में काम न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रवधान है साथ ही कराये जा रहे कामों की सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान किया गया है। परन्तु इसका कार्यान्वयन सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से लागू नहीं हो पा रहा है साथ ही भ्रष्टाचार से भी यह योजना जूझ रही है। यद्यपि इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सुशासित कार्यान्वयन के लिये इलेक्ट्रानिक गर्वनेन्स का प्रयोग किया जा रहा है।

2 अक्टूबर 2009 में इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया। वस्तुतः महात्मा गांधी गांवो को विकास की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। वे आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना करते थे जो सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होगें, जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता इसे वैश्विक मंदी से बचाने का भी काम करती है।

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य लोकतंत्र में उपेक्षित जनता को सुदृढ़ करना है जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। यह आम जनता का कानून है इसका प्रभावी कार्यान्वयन जनसहभागिता पर ही निर्भर करता है।

प्रस्तुत शोध में बिहार राज्य के कैमूर, जनपद को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। यहां की जनसंख्या 16,26,384 (2011) है। जिसमें 52 प्रतिशत पुरूष तथा

48 प्रतिशत महिलायें है। यहां साक्षरता दर 69.34 प्रतिशत है। यहां 96 प्रतिशत ग्रामीण तथा 4 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है तथा 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है कुल जनसंख्या में। भौगोलिक रूप से बड़ा क्षेत्र पहाड़ी एवं कुछ भाग मैदानी होने के कारण यहां बेरोजगारी है। यहां लघु कुटीर उद्योग की अनुपलब्धता की वजह से जनपद की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है। अतः यहां ग्रामीण गरीबी अधिक है और रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। इसलिये प्रस्तुत जनपद को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। जनपद में बारह ब्लाक है। यहां मनरेगा 2007 में लागू किया गया।

शोध उद्देश्य :

1. ग्रामीण विकास में अधिनियम की भूमिका की वास्तविकता की जांच करना।
2. कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत मनरेगा के उद्देश्यों का विश्लेषण करना।
3. प्रभावशाली नीति लागूकरण में स्थानीय संरचना, स्थानीय शासन तथा पंचायतों के बीच संबंधो की समीक्षा करना।
4. मनरेगा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की पारदर्शिता का मूल्यांकन करना।
5. मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण का विश्लेषण करना।
6. अनुसचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण में मनरेगा का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना :

1 मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

2 बिहार के कैमूर जिले में सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में मनरेगा का सही से क्रियान्वयन नही हो पा रहा है।

3 कैमूर जिले में शिक्षा एव जागरूकता के कारण मनरेगा का ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पडा है।

शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध आनुभावित अध्ययन पर आधारित है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीमक स्त्रोतों से आंकडे एकत्र किये गये है। प्रश्नावली, सर्वे एवं साक्षात्कार का प्रयोग आंकडे एकत्र करने के लिये किया गया। प्रतिदर्श का चयन कैमूर जिले के 4 ब्लाकों से किया गया। प्रतिदर्श के सभी इकाइयों को व्यक्तिगत तौर पर प्रशासित किया गया। यह शोध केवल कैमूर जिले पर केन्द्रित है।

इस शोध में सर्वे के दौरान आंकड़ों को Disproportionate Stratified Random Sampling विधि द्वारा एकत्रित किया गया है जिसमें मनरेगा में कार्यरत विभिन्न समूहों (Groups) जिसमें विभिन्न समुदाय (GEN, OBC, SC, ST) तथा विभिन्न आयु के लोगों एवं शिक्षित मजदूरों के साथ–साथ महिला श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।

ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ–साथ मनरेगा के क्रियान्वयन में शामिल प्रशासनिक तंत्र जो ग्रामीण विकास योजनाओं के लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको भी संख्या के अनुपात में चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध में अनुभव परक अध्ययन के लिए बिहार के कैमूर जिले के भभुआ, चांद, रामगढ, भगवानपुर प्रखंडों के दो–दो ग्राम पंचायतों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 मनरेगा श्रमिकों का चयन किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि (मुखिया), रोजगार सेवक के साथ ही प्रखंड के मनरेगा के P.O. (Program officer) का भी साक्षात्कार लिया गया।

इस शोध के अर्न्तगत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का सारणीयन चार्ट एवं ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण के लिये सरल सांख्यकी का भी प्रयोग किया गया है।

अध्यायों का संक्षिप्त परिचय :

प्रस्तुत शोध प्रबंध को संपादित करने हेतु इसे कुल अध्याय में विभाजित किया गया है :

प्रथम अध्यायः

प्रथम अध्याय में विकास को परिभाषित करते हुए विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है जिसमें राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास प्रमुख रूप से है। विकास की चर्चा केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सारे आयाम/घटक मिलकर विकास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस अध्याय में भारत के ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बताते हुए गांवो के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए ग्रामीण विकास के नियोजन में दिये जाने वाले प्राथमिकताओं को बतलाया गया है। इसके साथ ही मनरेगा योजना का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 21वीं सदी में ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की सूची प्रदान की गई है।

द्वितीय अध्याय :

द्वितीय अध्याय ''ग्रामीण विकास : एक संकल्पनात्मक विवेचना'' में ग्रामीण विकास का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्राम की अवधारणा को परिभाषित करते हुए ग्राम को ग्रामीण समुदाय की संरचनात्मक इकाई के रूप में बतलाया गया है जो प्राथमिक समूहों से बना होता है। गांवों को शहरों से अलग करने वाली विशेषता का वर्णन करते हुए इसमें होने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। गांवों में रहने वाले लोग "ग्रामीण" का भी वर्णन किया गया है। विकास को परिभाषित करते हुए इसे तुलनात्मक रूप में देखा गया है। जो निश्चित समयों में किसी व्यक्ति, समाज, वस्तु, क्षेत्र इत्यादि में होने वाले परिवर्तन को बतलाया है। समय के साथ होने वाले विकास की अवधारणा में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए

इस विकास के परंपरागत, कल्याणकारी एवं आधुनिक दृष्टिकोणों का वर्णन किया गया है।

इसी अध्याय में भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा को बतलाते हुए इसके विभिन्न आयामों (मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी तथा संसाधन एवं पर्यावरण) का वर्णन किया गया है। भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बतलाते हुए ग्रामीण विकास के तरीके का वर्णन किया गया है । इसके साथ भारत में ग्रामीण विकास के दृष्टिकोणों (गांधीवादी, अंबेडकरवादी) का विस्तार से वर्णन किया गया है।

तृतीय अध्याय :

तृतीय अध्याय ''भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास एवं योजनाएँ'' में भारत में ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रयास एवं सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन योजनाओं को दो भागों में बांटते हुए आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद के ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उनकी सफलता एवं असफलता को बताया गया है। आजादी के पूर्व श्रीनिकेतन परियोजना, मार्ताडम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, बड़ौदा परियोजना इत्यादि जैसे ग्रामीण विकास की परियोजना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में स्वतंत्रता बाद चलाए गए ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं को सामाजिक कल्याण अभिमुख योजनाएं, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजनाएं, पर्यावरण सहज (सतत विकास) योजनाएं तथा रोजगार से संबंधित योजनाओं के रूप में बांटकर विभिन्न योजनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थ अध्यायः

चतुर्थ अध्याय **''**मनरेगा परिचय एवं क्रियान्वयन'' में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम को बतलाते हुए इसके क्रियान्वयन का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी को दिखाते हुए मनरेगा अधिनियम के

लाने की पृष्ठभूमि को बतलायी गयी है। मनरेगा को लागू करने के पीछे दो कारणों को सामाजिक, आर्थिक ढांचागत बदलाव एवं राजनीतिक कारण का उल्लेख किया गया है, योजना एवं अधिनियम में अंतर बतलाते हुए अधिनियम में उल्लेखित इसके उद्देश्य, रोजगार गारंटी, कार्य दिवस, जॉब कार्ड, कार्य के लिए आवेदन, महिलाओं को 33% आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, योजना अंतर्गत होने वाले कार्य, पंचायत संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका, पारदर्शिता के प्रावधान एवं सामाजिक अंकेक्षण जैसे बिंदुओं का वर्णन किया गया है।

इसी अध्याय में मनरेगा योजना का भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन का विस्तार से वर्णन किया गया है जिसमें मनरेगा के उपरांत पुरुष और महिलाओं के वास्तविक मजदूरी में वृद्धि का वर्णन करते हुए मनरेगा का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रगति का वर्णन किया गया है। इसके साथ मनरेगा में होने वाले कुल कार्यों में कृषि एवं कृषि से संबंधित होने वाले कार्यों की प्रतिशतता को दिखाते हुए मनरेगा के उपरांत श्रमिकों के उपयोग, व्यय, ऊर्जा प्रोटीन के धन तथा संपत्ति एकत्रित में होने वाले वृद्धि का वर्णन किया गया है।

पंचम अध्याय :

पंचम अध्याय ''बिहार में ग्रामीण विकास और मनरेगा'' में मनरेगा का ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें बिहार का संक्षेप परिचय देते हुए भारत और बिहार की जनसंख्या एवं प्रशासनिक ढांचा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक एवं ग्रामीण उद्योग तथा द्वितीयक क्षेत्रों में वार्षिक विकास की दर को बतलाते हुए उद्योगों पर राज्य सरकार के व्यय को दिखलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों की बढ़ोतरी को बतलाया गया है।

इसी अध्याय में भारत एवं बिहार के शहरी तथा ग्रामीण गरीबी अनुपात को बताते हुए बिहार में ग्रामीण विकास की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। बिहार में ग्रामीण विकास को बतलाते हुए बिहार में पंचायती संस्थाओं एवं उनके द्वारा

विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दिखलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए सात निश्चय का वर्णन किया है इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसे भारत सरकार की योजनाओं का बिहार में प्रगति का वर्णन करते हुए गृह भूमि वितरण (अभियान बसेरा कार्यक्रम) की भी व्याख्या की गई है। भारत सरकार द्वारा 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर लोगों को कानूनी काम का अधिकार प्रदान किया गया बिहार में मनरेगा योजना की प्रगति/प्रदर्शन का विस्तार से वर्णन किया गया है।

षष्ठम् अध्याय :

षष्ठम् अध्याय ''मनरेगा और ग्रामीण विकासः कैमूर जनपद का एक अध्ययन'' के अंतर्गत उत्तरदाताओ से प्राप्त आँकडो का विश्लेषण किया गया है। जिले का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक एवं राजनितिक स्थिति, जनसांख्यकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक परिदृश्य एवं वहाँ के मजदूरो की स्थिति और औद्योगिक ईकाइयों द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों को दिये जाने वाले रोजगार कार्य दिवसों को बतलाते हुये कैमूर जिले में मनरेगा की प्रगति का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है।

सप्तम् अध्याय :

शोध प्रबंध के अन्तिम अध्याय 'निष्कर्ष एवं सुक्षाव' के अन्तर्गत शोध प्रबंध के विभिन्न अध्यायो से प्राप्त निष्कर्षो की विवेचना प्रस्तुत की गई है। इसमें शोध की परिकल्पना की सत्यता एवं असत्यता को प्राप्त आँकडो से सिद्व किया गया है। अंत में मनरेगा के सफलतम क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई (121.07 करोड़ में से 83.4 करोड़) जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए भारत के विकास के लिए भारत के गांवों का विकास जरूरी है।

भारत को अतीत में सबसे ज्यादा गर्व का मौका बिहार ने हीं दिया है मगध और पाटलिपुत्र का इतिहास सबसे सुनहरे पन्नों में एक रहा है प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र शासन का केंद्र स्थल रही। गंगा घाटी में बसा यह क्षेत्र ज्ञान धर्म अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति से भारत ही नहीं विश्व को आलोकित किया है। बिहार का कैमूर जिला का प्राचीन एवं रोचक इतिहास रहा है। प्राचीन काल में कैमूर पहाड़ी जनजातियों का आवास था जिसमें मुख्य रुप से भार, कैरोस, खारवा, एवं ओरांव जनजाति प्रमुख थी। मध्यकाल में शेरशाह सुरी के शासनकाल में यह भारतीय शासन का केंद्र रहा। कैमूर जिला पहाड़ी एवं पठार क्षेत्र से भरा पडा है। जिले के समतलीय क्षेत्र (कृषि योग्य भूमि) के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिस पर धान गेहूं ज्वार बाजरा इत्यादि फसलें उगाई जाती है। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र के दक्षिण की ओर जाते हैं मिट्टी पथरीली/चट्टानी होती जाती है तथा कैमूर की पहाड़ी के नजदीक आने पर मिट्टी एकदम से पथरीली हो जाती है। अगर हम कैमूर जिले में उद्योगों की उपस्थिति को देखे तो यह बहुत कम हैं। लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपस्थिति भी नाम मात्र की है। जिले में कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1025 है जिसमे कुल नामांकित 897 औद्योगिक इकाई है। वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 2 है जिसमें कुल रोजगार युक्त श्रमिकों की संख्या 208 है। जिले के कुल छोटे उद्योगों में प्रति दिन कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 7 है। ऐसे क्षेत्र में मनरेगा की ग्रामीण विकास मे क्या भूमिका है इस शोध के अंतर्गत जानने की कोशिश की गई है।

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास मे मनरेगा की भूमिका का परीक्षण करना है। शोध की प्रथम परिकल्पना मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं को जानने के लिए शोध में प्रयुक्त मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4.8, 4.9 एवं 4.18 तथा मुखिया, प्रोग्राम ऑफिसर तथा रोजगार सेवक से साक्षात्कार लिया गया। मनरेगा श्रमिकों से प्राप्त आंकड़ों को सारणी संख्या 6.24, 6.25 एवं 6.33 में व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही क्रियान्वयन में शामिल अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से लिए गये साक्षात्कार को भी अध्याय संख्या षष्ट में वर्णन किया गया है प्राप्त आंकड़ों एवं

आनुभाविक अध्ययन द्वारा यह ज्ञात होता है कि 81 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों को कार्य प्राप्ति में भेदभाव नहीं किया जाता है परंतु जनप्रतिनिधियों एवं मनरेगा के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारियों से साक्षात्कार से यह ज्ञात होता है कि दबंग, खेतिहर तथा अन्य वार्ड प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यक्तिगत हित एवं लाभ के लिए प्रभावित किया जाता है। इसके साथ मनरेगा के प्रावधान भी इन अधिकारियों के स्वतंत्रता को कम करते हैं जिसमें यह है कि विवादित स्थान पर कार्य शुरू नहीं किया जा सकता।

अध्ययन से यह पाया गया कि मनरेगा में श्रमिकों को कार्य देने में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन अधिकतर श्रमिक मनरेगा में कम मजदूरी के कारण कार्य नहीं करने की बात कही साथ ही समय पर मजदूरी न मिलने की शिकायत की। मनरेगा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के आंकड़े से शोध की प्रथम पर परिकल्पना सिद्ध होती है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्व साली समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

शोध की द्वितीय परिकल्पना बिहार के कैमूर जिले में सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में मनरेगा का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है की अन्वेषण के लिए शोध में प्रस्तुत प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4.20, 4.21, 4.22 एवं 4.23 को लिया गया है। उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तर का विवरण सारणी संख्या 6.35, 6.36, 6.37 और 6. 38 में दिया गया है। प्राप्त आंकड़ों एवं अनुभाविक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं को सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बहुत कम जानकारी है तथा जिले में ग्राम सभा की बैठक साल में दो बार से कम (58 प्रतिशत उत्तरदाता) होती है। ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा में होने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण बहुत कम (44 प्रतिशत उत्तरदाता) किया जाता है। निष्कर्षतः उपरोक्त आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि कैमूर जिले में मनरेगा में हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का अभाव पाया जाता है। जिससे मनरेगा का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करने से वहां मनरेगा के क्रियान्वयन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे शोध की दूसरी परिकल्पना सिद्ध

होती है कि कैमूर जिले में अंकेक्षण के अभाव में मनरेगा का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है।

शोध की तृतीय परिकल्पना– कैमूर जिले में शिक्षा एवं जागरूकता के कारण मनरेगा का ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है की वैधता की जांच के लिए शोध में प्रस्तुत प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2, 4. 4, 4.5, 4.14, 4.19, 4.20 को लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिले की साक्षरता दर 69.34 है। परंतु सारणी संख्या 6.6 से यह ज्ञात होता है कि मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों में सबसे ज्यादा (33.5 प्रतिशत) निरक्षर है वहीं 24 प्रतिशत 5वीं पास एवं 26 प्रतिशत 6वीं पास हैं। प्राप्त आंकड़ों का विवरण सारणी संख्या 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21, 6.30, 6.34 और 6.35 में दिया गया है। प्राप्त आंकड़ों से एवं अनुभाविक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जिले में साक्षरता दर तो अच्छी है लेकिन मनरेगा योजना के बारे में जागरूकता की कमी है। क्योंकि सर्वे के दौरान उत्तरदाताओं को मनरेगा के बारे में तो जानकारी था लेकिन उसके अंतर्गत प्रावधानो का ज्यादा ज्ञान नहीं था उनका कहना था। कि जब कार्य आएगा तब उन्हें कार्य मिलेगा बेरोजगारी भत्ते के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के बारे में उन्हें ज्ञान था लेकिन कार्य मांगने के अधिकार को वे नहीं जानते थे। जिससे वहाँ प्रति परिवार कुल कार्य दिवस कम पाया गया।

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जिले की साक्षरता दर अच्छी होने के बावजूद यहाँ मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों एवं अधिनियम के प्रावधानों की जागरूकता में कमी पाई गई। अतः यह कहा जा सकता है कि जिले में मनरेगा योजना के प्रति लोगो में जागरूकता का अभाव है जिससे मेरी तृतीय परिकल्पना कैमूर जिले में शिक्षा एवं जागरूकता के कारण मनरेगा का ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, असत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्षतः प्राप्त आंकड़ों से एवं अनुभाविक अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि कैमूर जिले में मनरेगा में ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

एक और जहां मनरेगा से ग्रामीण आधारभूत संरचना में वृद्धि हुई है (सारणी संख्या 6.51 और 6.52) वहीं दूसरी तरफ विकास के मानवीय पक्ष (उत्तरदाताओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खान–पान) पर मनरेगा का ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला (सारणी संख्या 6.53 और 6.54)। इस तरह जहां मनरेगा गांवो की आधारभूत संरचना में बढ़ोतरी कर ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है लेकिन वहीं ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषणयुक्त भोजन की बढ़ोतरी में मनरेगा का प्रभाव ज्यादा नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि मनरेगा कैमूर जिले के ग्रामीण विकास में सिर्फ एक पक्ष में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष में इसका योगदान सकारात्मक नहीं है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश ग्रामीण जनता में मनरेगा के बारे में समुचित जानकारी का अभाव है। जिले में अच्छी साक्षरता दर होने के बावजूद लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी कम पाई गई। प्रशासनिक स्तर पर भी इसके प्रचार–प्रसार के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता और उसका प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण पहलू राज्य स्वायतता एवं जन सहभागी होता है। लाभार्थी का योजना के प्रति जागरूकता का स्तर एवं पर्याप्त शिक्षा तथा जन नीतियों के प्रचार प्रसार का स्तर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। अध्ययन के अंतर्गत जिले में इन सब की कमी पाई गई जिसने मनरेगा का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

मनरेगा अधिनियम एक प्रमुख विशेषता है जो इसे पूर्ववर्ती योजनाओं से अलग करती है वह है सामाजिक अंकेक्षण। इससे ना केवल भागीदारी बढ़ती है अपितु यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक अच्छा औजार है परंतु अध्ययन के दौरान एवं प्राप्त आंकड़ों से जिले में सामाजिक अंकेक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता एवं नियमित रूप से भाग लेने में कमी पाई गई। अध्ययन में पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा भी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया एवं बैठक बहुत कम की जाती है।

श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक उन्हें कार्य करने का प्रेरणा प्रदान करता है जिस पर कार्य की सफलता निर्भर करता है। मनरेगा में मजदूरों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उसी तरह के समान कार्य के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कम है। जिससे मजदूर इसमें कार्य करने की रुचि नहीं दिखाते हैं। शोध अध्ययन के दौरान मनरेगा श्रमिकों की शिकायत रही कि उन्हें कार्य के एवज में कम मजदूरी दी जाती है। इससे ज्यादा हमें दूसरे के यहां कार्य करने पर मिलती है। इसके साथ ही उनकी शिकायत थी कि की मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है।